

सं.प्र.म०ले०(ले.प-II)/प्रशा./प्रति.नि./फ.सं.151/IV/14-

दिनांक : 24.04.2026

**कार्यालय आदेश**

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०-I), उ०प्र०.प्रयागराज द्वारा कार्यालय आदेश संख्या: प्र.म.ले. (ले.प.-I)/प्रशा./प्रतिनियुक्ति/फा.सं.-505 (158)/04 दिनांक 15.04.2026 के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), कर्नाटक, बेंगलूरु से इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर तैनात श्री आजम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (D/526) की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 06.04.2026 से 05.04.2027 (तृतीय वर्ष) तक विस्तारित कर दी गई है। यह प्रतिनियुक्ति विस्तार लोकहित में नहीं है।

भविष्य में कार्यालय में रिक्त पद भर जाने की स्थिति में, श्री आजम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (D/526) को 15 दिन की नोटिस अवधि के पश्चात इस कार्यालय से पैतृक कार्यालय में योगदान हेतु प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। उक्त स्थितियों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 6/8/2009-Estt. (Pay-II) दिनांक 17.06.2010 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत पैतृक कार्यालय में योगदान हेतु प्रत्यावर्तन के समय 03 माह का पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

**Office Order**

Vide Office Order No. प्र.म.ले. (ले.प.-I)/प्रशा./प्रतिनियुक्ति/फा.सं.-505 (158)/04 दिनांक 15.04.2026 Office of the Principal A.G.(Audit-I), U.P., Prayagraj has approved the extension of the deputation period of Shri Azam Khan, Sr. Auditor (D/526), working on deputation in this office from O/o the A.G. (Audit-I), Karnataka, Bengaluru, with effect from 06.04.2026 to 05.04.2027 (3<sup>rd</sup> Year). This extension of deputation is not in public interest.

In future, in case of filling up of vacant posts, Shri Azam Khan, Sr. Auditor may be repatriated to his parent office after serving a notice for a period of 15 days. In such circumstances, it will not be necessary to give a prior notice of 03 months at the time of repatriation to his parent office as per the provisions contained in the Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17.06.2010.

हस्ता/-

वरिष्ठ उप-महालेखाकार/ प्रशासन  
दिनांक : 24.04.2026

सं.प्र.म०ले०(ले.प-II)/प्रशा./प्रति.नि./फ.सं.151/IV/14-193

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उ.प्र., प्रयागराज
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
3. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
4. व.ले.प.अ./AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV नियंत्रण, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
5. व.ले.प.अ./ विधिक प्रकोष्ठ/ सामान्य प्रशासन/ पी.सी./ प्रतिवेदन-I/II/III/आई.टी.ए./समन्वय/डी.ए.सी.आर.सी./हिन्दी प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
6. व.ले.प.अ./आई.टी.सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. सम्बंधित अधिकारी
8. सूचना पट्ट
9. गार्ड फाइल

वारिष्ठ

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

25/4/26  
प्रधान  
27/4/26  
वरिष्ठ